(b) If so, whether this has since been cleared by the Central Government;

(c) Whether it is a fact that the Karnataka Government have also requested the Central Government to move the British High Commission for extension of the Associate Forest Research Project for a further period of five years from the 1st April, 1990; and

(d) If so, the details thereof, indicating the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The project has been posed to the ODA(UK) for funding.

Income Tax and Wealth tax Returns Filed by Chief Minister of Tamil Nadu

3274. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2309 given in the Rajya Sabha on the 8th December, 1992 and state the date on which the *income tax and wealth tax returns were* filed by the Chief Minister of Tamil Nadu?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): The Income Tax and Wealth Tax returns were filed on the dates indicated below:—

Assessment Year	Date
1990-91	20.11.92
1991-92	20.11.92
1992-93	23.11.92

बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गये कर्जे

3275. **श्री वीरेन जे० शाह:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रति वर्ष अदा न हो पाने वाले कर्जे को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1990-91 के दौरान बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए कर्जों की राशि 471.09 करोड़ रुपये थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(घ) क्या इस राशि में उन संस्थाओं की ओर, बकाया राशि भी शामिल है, जो एक मुश्त दस लाख रुपये या इससे अधिक राशि के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या है जिन पर दस लाख रुपये या इससे अधिक राशि के कर्जे थे और जिनकी कर्जे की राशि को इस वर्ष बट्टे खाते में डाला गया है; और

(च) क्या सरकार ने कर्जों को इस तरह बट्टे खाते डाले जाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र बनाया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि बैंक ऋणदाता संस्थाएं हैं, इसलिए उधार दी गई निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समस्त प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के बावजूद कुछ ऋण अशोध्य हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्ग निदेश जारी किए हैं, जिनमें अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले घटक निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 1992 में बैंकों को यह परामर्श दिया है कि अलग-अलग बैंकों के निदेशक बोर्ड अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने और समझौता प्रस्तावों के लिए विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं, लेकिन यह उन सुरक्षापायों/शर्तों और रिपोर्टिंग के अधीन होगा, जिसे बोर्ड निर्धारित करे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के